UPST010019202026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित–सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू.पी.1885

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–620/2026

मुबारक उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र सोनू उर्फ हाफिज उल्ला निवासी ग्राम–कस्बा पांचोपीरन, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–119/2026
धारा–109, 115(2), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता
थाना–कोतवाली नगर, जनपद–सुलतानपुर

दिनांक 11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त मुबारक की ओर से थाना–कोतवाली नगर, जनपद–सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–119/2026 अन्तर्गत धारा–109, 115(2), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में पूर्व में किसी अभियुक्त का कोई अग्रिम/नियमित ज़मानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय द्वारा निस्तारित नहीं हुआ है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा मो0 निसार द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 24.02.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दि0 24.02.2026 को समय लगभग 3:00 बजे दिन में वादी अपनी किराये की दुकान पर गया और अपना कार्य करना चाहा, तभी पुराना नगर पांचोपीरन स्थित गांव के टिन्नी तथा उसके साथी मुबारक व दो

अज्ञात व्यक्ति एकाएक वादी की दुकान पर मुंह बांधकर आये और वादी को मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे। मना करने पर चारों लोगों ने वादी को लात, मुक्का, डण्डा एवं जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मारा, जिससे वादी के पीठ में करीब 5 इंच गहरा घाव हो गया तथा सिर एवं शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आईं। वादी के चिल्लाने पर मोहल्ले के कई लोग आ गये और बीच बचाव किये। तब अभियुक्त ऐलानिया धमकी देते हुए चले गये कि यदि कहीं रिपोर्ट करोगे तो तुम्हें जान से मार डालेंगे।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण मुबारक (प्रार्थी/अभियुक्त), टिन्नी व दो अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, मात्र हैरान परेशान करने की नीयत से गलत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। घटना दि0 24.02.2026 की समय 15:00 बजे की कही जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0 24.02.2026 को समय 21:36 बजे कानूनी राय मशविरे से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना में विवेचनाधिकारी द्वारा कोई कुल्हाड़ी की बरामदगी नहीं की गयी है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लात, मुक्का, डण्डा एवं जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मारा–पीटा गया, जिससे वादी के पीठ में करीब 5 इंच गहरा घाव हो गया तथा सिर एवं शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आईं। गवाहों ने अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि

प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण पर यह सामान्य आक्षेप है कि वे वादी/मजरूब निसार अहमद की दुकान पर मुंह बांधकर आये और उनके द्वारा वादी/मजरूब निसार अहमद को लात मुक्का, डण्डा एवं जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से मारा–पीटा गया, जिससे वादी के पीठ में करीब 5 इंच गहरा घाव हो गया तथा सिर एवं शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आईं।

3. केस डायरी के पर्चा नं0–1 में दर्ज अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मजरूब निसार अहमद को केवल दो चोटें आयी थीं। पहली चोट Incised wound 4 x 1 cm muscle deep on just above Lt. buttock के रूप में तथा दूसरी चोट Abrasion 0.5 x 0.3 cm on 5 cm above Rt. Eye brow के रूप में है। चिकित्सक द्वारा चोट सं0 1 को जेर–ए–निगरानी रखा गया एवं किसी जनरल सर्जन, ऑर्थो सर्जन व एक्सपर्ट ओपीनियन के लिए रेफर किया गया तथा इसके लिए एक्स–रे की सलाह दी गयी। चोट सं0 2 साधारण प्रकृति की थी। दोनो चोटें धारदार हथियार से कारित थीं।

4. केस डायरी के पर्चा सं0–2 में दर्ज अवलोकन एक्स–रे रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कोई भी अनियमितता एक्स–रे रिपोर्ट में नहीं पायी गयी।

5. केस डायरी के पर्चा सं0–2 में डिस्चार्ज स्लिप, जिला अस्पताल, सुलतानपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/मजरूब को रेफर किये जाने के पश्चात् वह दि0 24.02.2026 को 3:00 पी0एम0 पर अस्पताल में भर्ती हुआ और दि0 25.02.2026 को 10:50 ए0एम0 पर उसे डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान उसका एक्स–रे कराया गया, जिसमें सभी चोटें सामान्य पायी गयीं।

6. वादी निसार अहमद के धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के बयान से यह स्पष्ट है कि वादी एवं प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य घटना के पूर्व से विवाद चल रहा है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल्हाड़ी से वार किये जाने का आक्षेप है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त एवं सहअभियुक्त शकीब की निशानदेही पर एक फरसे की बरामदगी दिखायी जाती है। फरसे की इस बरामदगी का भी कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

8. सम्बन्धित थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मुबारक की ओर से थाना–कोतवाली नगर, जनपद–सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–119/2026 अन्तर्गत धारा–109, 115(2), 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सम्बंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रूपये 40,000/– (चालीस हजार) का निजी बंधपत्र व उसी राशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्नांकित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांकः 11.03.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code UP 1885

आशुलिपिक– मधुलिका सिंह

SUNIL KUMAR Digitally signed by SUNIL KUMAR